

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 06/2020

दायरा दिनांक : 06.01.2020

**उनवान**

बापूलाल उर्फ बापू पुत्र औंकार जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान

- 1/1 जगदीश आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/2 नानूराम आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/3 लक्ष्मीनारायण आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/4 बन्ने सिंह आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/5 शांतिबाई पुत्री स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/6 संतराम आत्मज स्वर्गीय झमकूबाई पुत्री स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू



नाबालिग आयु 10 वर्ष जयें माता नानूराम आत्मज बापूलाल उर्फ बापू जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

... अपीलांट

**बनाम**

- 1- नंदलाल आत्मज नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 2- बंद्रीलाल आत्मज नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 3- काली बाई पुत्री नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 4- सरदार बाई पुत्री नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 5- सुन्दर बाई विधवा पत्नी नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

(महेन्द्र लोढा)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 कोटा (राज.)

6- माधो पुत्र रामा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा मृतक  
कायम मुकामान :-

6/1 मांगीलाल आत्मज माधो

6/2 छोटी बाई पुत्री माधो

6/3 कंचन बाई पुत्री माधो

6/4 गुलाब बाई विधवा पत्नी माधो जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील  
अकलेरा

7. अमरलाल आत्मज रामा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

8. शैतान बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

9. धापू बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

10. सुगना बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

11. गायत्री बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

12. भूली बाई विधवा पत्नी पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील  
अकलेरा

13. भैरू पुत्र हीरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

14. उदा पुत्र नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

15. मांगीलाल पुत्र नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

16. फूलचन्द पुत्र नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

17. मांगी बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी ग्राम रटलाई तहसील  
बकानी जिला झालावाड़

18. सरदर बाई पुत्री नारयण पत्नी कजोड़ जाति भील निवासी श्योपुरा  
तहसील बकानी जिला झालावाड़



(महेन्द्र लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

19. धापू बाई पुत्री नारायण पत्नी बजरंगलाल जाति भील निवासी  
कंवराखेडी तहसील सुसनेरा जिला शाजापुर मध्यप्रदेश
20. जानी बाई पुत्री नारायण पत्नी मदनलाल जाति भील निवासी परथीपुरा  
तहसील अकलेरा
21. मेहताब बाई विधवा पत्नी नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील  
अकलेरा जिला झालावाड़
22. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड़

.. रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 05/2020

दायरा दिनांक : 06.01.2020

### उनवान

बापूलाल उर्फ बापू पुत्र औंकार जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील  
अकलेरा जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान

- 1/1 जगदीश आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/2 नानूराम आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/3 लक्ष्मीनारायण आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/4 बन्ने सिंह आत्मज स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/5 शांतिबाई पुत्री स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू
- 1/6 संतराम आत्मज स्वर्गीय झमकूबाई पुत्री स्वर्गीय बापूलाल उर्फ बापू  
नाबालिग आयु 10 वर्ष जर्गे माता नानूराम आत्मज बापूलाल उर्फ बापू  
जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़



... अपीलांट

### बनाम

- 1- नंदलाल आत्मज नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा

(महेन्द्र लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

- 2- बंदीलाल आत्मज नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 3- काली बाई पुत्री नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 4- सरदार बाई पुत्री नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 5- सुन्दर बाई विधवा पत्नी नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
- 6- माधो पुत्र रामा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान
- 6/1 मांगीलाल आत्मज माधो
- 6/2 छोटी बाई पुत्री माधो
- 6/3 कंचन बाई पुत्री माधो
- 6/4 गुलाब बाई विधवा पत्नी माधो जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
7. अमरलाल आत्मज रामा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
8. शैतान बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
9. धापू बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
10. सुगना बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
11. गायत्री बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
12. भूली बाई विधवा पत्नी पूरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
13. भैरू पुत्र हीरा जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
14. उदा पुत्र नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा
15. मांगीलाल पुत्र नारायण जाति भील निवासी धामाखेडा तहसील अकलेरा



(महेश्वर लोका)  
 मू-प्रथम अधिकारी  
 एवं  
 पदेम राजस्व अपील प्राधिकारी  
 कोटा (राज.)

16. फूलचन्द पुत्र नारायण जाति भील निवासी धामाखेड़ा तहसील अकलेरा
17. मांगी बाई पुत्री पूरा जाति भील निवासी ग्राम रटलाई तहसील  
बकानी जिला झालावाड़
18. सरदर बाई पुत्री नारायण पत्नी कजोड़ जाति भील निवासी श्योपुरा  
तहसील बकानी जिला झालावाड़
19. धापु बाई पुत्री नारायण पत्नी बजरंगलाल जाति भील निवासी  
कंवराखेडी तहसील सुसनेरा जिला शाजापुर मध्यप्रदेश
20. जानी बाई पुत्री नारायण पत्नी मदनलाल जाति भील निवासी फथीपुरा  
तहसील अकलेरा
21. मेहताब बाई विधवा पत्नी नारायण जाति भील निवासी धामाखेड़ा तहसील  
अकलेरा जिला झालावाड़
22. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड़

उपस्थित - श्री अरुण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से



निर्णय

दिनांक : 16-09-2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

यह दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या - 56/दावा/2013 प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 19-06-2015 तथा फाईनल डिक्री व निर्णय दिनांक 12.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोका)  
पू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

अपील संख्या 06/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.2015 को पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय कैम्प राजस्व लोक अदालत अभियान भालता पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पाडलिया तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या 79 की 5 किता की 6 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। जिसमें बापू पुत्र ओंकार का 1/2 भाग में से 1/2 भाग यानी 1/4 भाग का खातेदार टीनेन्ट है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के पिता बापूलाल को गलत तौर पर 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए 1/4 भाग का विभाजन का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट के बयान लेकर दस्तावेजात को प्रदर्श करवाकर बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19-06-2015 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26-11-2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील संख्या 05/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2016 फाईनल डिक्री व निर्णय कैम्प राजस्व लोक अदालत अभियान भालता पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट के पिता बापूलाल उर्फ बापू के द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में उसके 1/4 हिस्से से कम लेने हेतु सहमति नहीं दी गई थी, ना ही उसके खाली कागज पर अंगूठा करवा कर उक्त फाईनल डिक्री में उसका 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/8 हिस्सा देकर कानूनी त्रुटि की है। तहसीलदार अकलेरा ने पेपर पार्टीशन रिपोर्ट दिनांक 19.06.2013 तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी करना चाहिए था तथा पक्षकारान की मौजूदगी में पेपर पार्टीशन रिपोर्ट तैयार करवायी जानी चाहिए थी, तथा पक्षकारों के उक्त पेपर पार्टीशन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिए थे, राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। माधो पुत्र रामा का स्वर्गवास हो चुका है इस कारण से उक्त अपील में मृतक माधों के स्थान पर उसके कायम मुकामान 6/1 से 6/4 बनाये गये हैं। इसी प्रकार से अपीलांट बापू लाल उर्फ बापू का स्वर्गवास हो गया है उसके स्थान पर 1/2 से 1/6 उसके पुत्र व पुत्रियों को कायम मुकामान बनाया

(महेन्द्र लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 12.03.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26-11-2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे का निर्णय राजस्व लोक अदालत में किया है तथा पक्षकारों को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । राजीनामे में अंगूठा निशानी लगाई है तथा पत्रावली तलबी की स्टेज में ही फैसला कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा सही नहीं किया हमें आराजी कम दी गई है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में सी पी सी आर्डर 6 नियम 17 ए 10ए पेज 1101, आर आर डी 2008 पेज 540, आर आर डी 1990 पेज 479, आर आर डी 2011 पेज 233, आर आर टी 2003 (1) पेज 647, आर आर डी 2009 पेज 379, आर आर डी 2019 पेज 206, आर आर डी 2019 पेज 577, आर आर डी 14.07.2020 पेज 260 उद्धरत की । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री अपास्त की जावे ।



हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो ।

(महेन्द्र लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में राजीनामा प्रपत्र सलंग्न है जो तस्दीक किया गया है तथा इसी राजीनामे के आधार पर वाद डिकी किया गया है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

प्रार्थना पत्र आर्डर 6 नियम 17 का पेश किया गया जिसमें वाद पत्र में संशोधन चाहा गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें वाद के अनुतोष में सातवीं लाईन में 1 बीघा 11 बिस्वा आराजी सहवन टाईप होना दर्शाया गया है । जबकि आराजी 1 बीघा 11 बिस्वा सही अंकित है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील संख्या 6/2020 व 05/2020 अपीलांट खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 19.06.2015 एवं अंतिम डिकी दिनांक 12.03.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



( महेन्द्र लोढ़ा )

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



मु. द. नं. 05 व 06 / 2020 व  
56 / दावा / 2013

नाराजगी डिकी अदालत - उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा  
निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक - 19-06-2015  
निर्णय एवं फाईनल डिकी दिनांक - 12-03-2016

### दावा बाबत


माह अपील व तारीख 07 माह 09 सन् 2020

हाजरी श्री अरुण कुमार जैन अभिभाषक मिनजानिब अपीलांत  
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :-

दोनों अपील संख्या 6 / 2020 व 05 / 2020 अपीलांत खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ  
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 19.06.2015 एवं अंतिम डिकी दिनांक 12.03.  
2016 यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 16 माह 09 सन् 2020 को जारी किया गया ।



  
(महेन्द्र लोढा)  
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.